



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशारोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 883/अका./2024

रायगढ़, दिनांक...27/06/2024

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु संशोधित अकादमिक कैलेंडर (प्रथम सेमेस्टर हेतु) जारी किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक एफ 17-83/2018/38-2 नया रायपुर, अटल नगर रायपुर, दिनांक 26.06.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु संशोधित अकादमिक कैलेंडर (प्रथम सेमेस्टर हेतु) जो विश्वविद्यालय के वेबसाईट- <https://snpv.ac.in> में भी उपलब्ध है, की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 884/अका./2024

रायगढ़, दिनांक...27/06/2024

प्रतिलिपि-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति के सादर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदया के सादर सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी (अका.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर
// आदेश //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /06/2024

26 JUN 2024

क्रमांक एफ 17-83/2018/38-2 :: राज्य शासन एतद द्वारा आयुक्त कार्यालय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन के संबंध में समय-सारणी में संशोधन हेतु प्रस्ताव अनुसार विभाग द्वारा जारी सेमेस्टर पद्धति के अकादमिक कैलेण्डर में स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर हेतु निम्नानुसार संशोधन जारी किया जाता है :-

संशोधित रागय-सारणी

अकादमिक कैलेण्डर 2024-25 (प्रथम सेमेस्टर हेतु)

| क्र. | अकादमिक कार्य/गतिविधियाँ | नियमित विद्यार्थियों हेतु | |
|------|--|---|---|
| | | पूर्व में प्रसारित तिथि | संशोधित तिथि |
| 1 | प्रवेश की अंतिम तिथि | 31.07.2024 तक (कुलपति के अनुमति से 14.08.2024 तक) | 25.07.2024 तक (कुलपति के अनुमति से 31.07.2024 तक) |
| 2 | कक्षाओं का आरंभ | 01 जुलाई 2024 से | यथावत |
| 3 | महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु इनडक्शन कार्यक्रम का आयोजन | - | 01.08.2024 |
| 4 | विद्यार्थियों द्वारा GE & VAC का चयन किया जाना | - | 06.08.2024 तक |
| 5 | GE & VAC कोर्सवार विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया जाना | - | 09.08.2024 तक |
| 6 | सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत विद्यार्थियों को असाइनमेन्ट का आबंटन | - | 30.08.2024 |
| 7 | सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत प्रथम टेस्ट/क्विज | 21,22,23 अगस्त 2024 | 09,10,11,12 सितम्बर 2024 |

निरतर.....

//2//

| | | | |
|----|---|-----------------------|--------------------------|
| 8 | सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत द्वितीय टेस्ट/क्विज | 24,25,26 सितम्बर 2024 | 21,22,23,24 अक्टूबर 2024 |
| 9 | सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत असाइनमेन्ट का मूल्यांकन | - | 05 नवम्बर 2024 तक |
| 10 | प्रायोगिक परीक्षाएं, परीक्षा पूर्व तैयारी, लिखित परीक्षा, इंटरनशीप एवं परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित तिथियां यथावत। | | |

2/ साथ ही सभी प्रवेशित विद्यार्थियों को न्यूनतम क्रेडिट अर्जन हेतु लगभग 15 सप्ताह/90 दिवस अध्यापन का अवसर प्राप्त हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों को निम्नानुसार निर्देश दिया जाता है :-

“प्रत्येक विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु मात्र दो सूची जारी की जाये जिसमें प्रथम सूची 27-29 जून के मध्य जारी कर एक सप्ताह प्रवेश के लिये समय प्रदान किया जाये। दूसरी सूची 07-09 जुलाई के मध्य जारी करते हुए पुनः एक सप्ताह तक प्रवेश हेतु समय दिया जाये। उपरोक्त दो सूची जारी करने के उपरांत सीट रिक्त होने की स्थिति में 15 जुलाई से महाविद्यालय स्तर पर मुक्त प्रवेश हेतु 07 दिवस का समय निर्धारित किया जाये। तदनुसार प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दिनांक 23 जुलाई 2024 को श्रेणी परिवर्तन कर महाविद्यालय स्तर पर दिनांक 25 जुलाई 2024 तक मुक्त प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

५८

(ए.आर. खान)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 17-83/2018/38-2
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /06/2024

26 JUN 2024

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 549/187/आउशि/गु.प्र./2024, दिनांक 20.06.2024 के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार निर्देश जारी किये जाने हेतु अग्रेषित।
3. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर,
4. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

५८

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग